मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

राजकुमार बनाम महावीर आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 139/2021

निर्णय दिनांक :– 20.10.2021

वादी की ओर से वकील सुभाष चन्द्र शर्मा की व प्रतिवादी सं0..... की ओर से वकील संदीप गोदारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख..... को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 9 AMS के खाता सं० 95/96 के मु.नं. 3 के किला नं० 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 18 ता 23 कुल 3.7950 है० कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से व रोही मौजा 15 AMS के खाता सं० 8/76 के मु.नं. 35 के किला नं० 11 ता 14, 17 ता 25 मु.नं. 38 के किला नं० 1 ता 11 कुल 6.0720 है० में प्रतिवादी सं 1 के नाम 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व रोही चक 13 BJM के खाता सं० 64/73 के मु.नं. 80 के किला नं० 20, 21, मु.नं. 81 के किला नं० 2, 3, 8, 9, 12, 13, 16 ता 25 मु.नं. 83 के किला नं. 11, 16 ता 25 मु.नं. 84 के किला नं. 15, 16, 24, 25 कुल 8.3490 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में से प्रतिवादी सं 1 महावीर के बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 का 1/3 हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार दर्शित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए पंजीकण विभाग को पूर्व पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

राजीनामा की डिक्री का अंश पढ़ा जावे

(शकुन्तला चौधरी)

(शिविर प्रभारी) R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

भादरा, जिला-हनुमानगढ़

कैम्प साहूवाला